31

यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 119/17

गुरदत्त सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह जाति जट सिख निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट अपीलांट की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

निर्णय

दिनांकः 11.09.2019

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 अपीलांट को सुने बिना, बिना साक्ष्य के एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि abnitio wrong की परिभाषा में आता है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को भूमिहीन काश्तकार पेशा मानते हुए रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 243/9 में 02.01 बीघा दिनांक 20.06.1978 को एवं इससे पूर्व खसरा नं. 243/15 में 10.00 बीघा टी.सी. आवंटन हुआ था। इस प्रकार कुल 12.01 बीघा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

रकबा भूमि का आवंटन अपीलांट के नाम से दिनांक 20.06.1978 से पूर्व टी.सी. आवंटन होकर अपीलांट के कब्जा काश्त में चला आ रहा हैं जिसके बाद उक्त भूमि का समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। उन्होंने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने पूर्णतया एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट का रकबा कुल 3.049 हैक्टेयर नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आता है व शर्तों का उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस विधिवत तामिल नहीं हुआ। तामिल कुंनिदा ने सरसरी तौर पर नोटिस की तामील दिखा दी जबकि नोटिस की पुश्त पर अपीलांट के हस्ताक्षर ही नहीं है। अपीलांट का निवेदन है कि जो नोटिस निकाला गया है जो कि अवैद्य है। इसके आगे की गयी समस्त कार्यवाही अवैद्य है व क्षेत्राधिकार से परे है जो कि काबिले खारिज है एवं अपील स्वीकृति योग्य है। अदालत माताहत ने मात्र पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के रकबा को पैराफेरी क्षेत्र मान लिया है जबकि मौके पर न तो पैमाईश करवायी गयी और न ही सीमा निर्धारित करवायी गयी। इसके अलावा पैराफेरी ऐरिया उसी समय डी–कॉलोनी हो चुका था तथा इस पर आवंटन नियम वर्ष 1970 लागू हो गया था। अपीलांट की हैसियत गैर खातेदार की हो गई थी एवं आवंटन नियम वर्ष 1970 के नियम 18 में अपीलांट इस रकबा के खातेदारी अधिकार जारी करवाने का हकदार हो गया था। अपीलांट का मौके पर आवंटन से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत माताहत ने इन सब नियमों का अवलोकन किये बिना ही मात्र कयासों के आधार पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

जैर अपील रकबा 38 वर्ष पूर्व से अपीलांट का टी.सी. आवंटन है । टी.सी. आवंटन से लेकर जैर अपील आदेश पारित होने तक अपीलांट रकम व मालकाना जमा करवाता आ रहा है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी है तथा मौके पर अपीांट का कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है। अपीलांट ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। हलका पटवारी द्वारा पूर्णतया गलत रिपोर्ट पेश की है कि आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है। अपीलांट एवं उसके परिवार के पालन–पोषण एवं जीवन यापन का सहारा जैर अपील रकबा ही है। अतः न्याय हित में अपील स्वीकार योग्य है। अपीलांट जब तहसील के खातेदारी हेतु पता करने गए एवं नकल हेतु दिनांक 18.09.2017 को पटवारी हलका के पास आवेदन किया एवं दिनांक 20.09.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

2017 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 05.10.2017 को अपील मय प्रार्थना पत्र दफा (5) मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 02.06.2016 को निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

4. बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व बहस अंतिम अपील पर सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार को टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार ही नही है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय में दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां कलक्टर को दी गयी है। आपके कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने निम्नोक्त नजीरें उधृत की–

(क) आरबीजे(19) 2012 पेज नं.–110
(ख) आरएलडब्ल्यू 2016(1) पेज नं. 413
(ग) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन) संशोधन नियम 1970 की प्रति।
(घ) इसके अलावा नकल पी–14 संवत् 2042 खसरा नं. 243/15 एवं 243/9, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत् 2051 व संवत् 2053–56, निर्णय न्यायालय तहसीलदार प्रकरण संख्या 06/2018 दिनांक 09.10.2018 पेश की जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

6. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेस्पोडेंट ने कोई विरोध भी नहीं किया। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 243/9 में 0.519 हैक्टेयर, खसरा नं. 243/15 में 2.530 हैक्टेयर कुल 3.049 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को टी. सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन् 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प.9(25)राज./16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियाँ तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अुनसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उधृत न्यायिक दृष्टांत यहाँ भली–भांति चस्पा होते हैं।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अजमीर सिंह चौधरी),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner